न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 71/2019

प्रार्थीगण :

1. घासीराम पुत्र श्री सुखाराम
2. चन्द्राराम पुत्र श्री सुखाराम
3. हरचन्द पुत्र श्री सुखाराम
   जातियान जाट निवासीगण
   ग्राम लवारी तहसील पीपाड़
   शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. केसाराम पुत्र सुखाराम
2. जालाराम पुत्र डाऊराम
3. दुदाराम पुत्र डाऊराम
4. देवाराम पुत्र भीकाराम फौत के
   कायम मुकाम
   4/1 नाथुराम पुत्र देवाराम
   4/2 दयालराम पुत्र देवाराम
   4/3 ओमाराम पुत्र देवाराम
5. भंवरलाल पुत्र डाऊराम
6. मनोहर पुत्र सुखाराम
   जातियान जाट ग्राम लवारी
   तहसील पीपाड़ शहर जिला
   जोधपुर राज.।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
   पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, व 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता
श्री रामदयाल चौधरी प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 14.03.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, व 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम लवारी पटवार क्षेत्र मालावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौकडी कला तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे खसरा नं. 83 क्षेत्रफल 12.0865 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय आयी हुई है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग व उपभोग मे लेते आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि राजस्व नक्शे मे तरमीमशुदा भूमि है तथा प्रार्थीगण के खसरे के चिपते ही उत्तर दिशा की ओर खसरा नं. 89 रकबा 11.6253 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या एक से छः की सहखातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी पर शामलाती रूप से शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी नक्शे मे तरमीम की हुई है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या एक से छः हर समय प्रार्थीगण की खसरा नं. 83 की उत्तरी माठ को लेकर हर समय लड़ाई झगडा करते है तथा खसरा नं. 83 की उत्तरी माठ की भूमि को हर समय अपनी भूमि बताते है, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 83 की बाद सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि भविष्य मे भी किसी प्रकार का विवाद नही हो । इसलिए ग्राम लवारी की राजस्व सीमा मे खसरा नं. 83 क्षेत्रफल 12.0865 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या सात को सीमांकन कर चारो ओर मुटाम कायम कर पत्थरगढी करने के आदेश फरमाये जावे तथा अप्रार्थी संख्या एक से छः को पाबंद किया जावे कि वह मौके पर अप्रार्थी संख्या सात का सहयोग करे व विवाद

14/3

उपखण्ड अधिकारी
... शहर (जोधपुर)

होने पर मौके पर जरूरत पडने पर पुलिस इमदाद सहित सीमांकन व पत्थरगढी करने के आदेश फरमाये जावे।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2019 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 26.11.2019 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 83 आई हुई है जिसके चिपते ही अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 89 आई हुई है । जिसकी उत्तरी माठ को लेकर विवाद है तथा अप्रार्थीगण निरन्तर प्रार्थी के कब्जे काश्त में विघ्न पैदा करते है तथा सीमाज्ञान करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू होते है अतः गुणावबुण पर पत्रावली का निस्तारण फरमावें तथा प्रार्थीगण को राहत प्रदान करें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नाप चौप व सीमाकंन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है । हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त एतद्द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम लवारी के खसरा नम्बर 83 रकबा 12.0865 हैक्टयर भूमि का राजस्व टीम गठित कर सीमा चिन्ह कायम कर कर रूबरू पक्षकारान के मुटाम स्थापित करते हुए पत्थरगढ़ी करावें । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकोष जमा करायेगे । इस आशय की तहरीर जारी हो बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें । आवश्यकतानुसार पुलिस जाब्ता थानाधिकारी बोरून्दा से प्राप्त करें ।

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 14.03.2022 सुनाया गया ।

(तुलाराम)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)